संख्या-55/2026/I-1277894/2026/एस-21/38-2-2026
001-38-2002-001-3-2025

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-013 के अन्तर्गत 14-मोटर गाडियों के क्रय में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-787/वा0-9/वाहन क्रय/2015-16, दिनांक 18 फरवरी, 2026 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-013 के लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम्य विकास-07 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ के अन्तर्गत मानक मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) के सापेक्ष प्रतिस्थापन के आधार पर 02 Maruti XL6-Alpha Plus Petrol के क्रय किये जाने हेतु प्रतिवाहन रूपये 11,52,862.48 की दर से कुल धनराशि **रू0 23,05,725** लाख (रूपये तेईस लाख पाँच हजार सात सौ पच्चीस मात्र) की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त वाहन क्रय हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शाससनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत अद्यतन शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय डी0जी0एस0एण्डडी0 के नये जी0ई0एम0 (जेम) पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा, किसी भी अन्य में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा। अर्थात क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

(6) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य /स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(7) क्रय किये जाने हेतु वाहन की गुणवत्ता विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चत करने का समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ का होगा।

(8) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ का होगा।

(9) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितांत आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर ही प्रतिस्थापन के आधार पर वाहन का क्रय किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **23.05,725** लाख (रूपये तेईस लाख पाँच हजार सात सौ पच्चीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **013** लेखा शीर्षक **4515001030700** दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ मानक मद **14** मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-2-239-X-2025-26 दिनांक 23-3-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

संख्या-55/2026/I-1277894/2026/एस-21/38-2-2025-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को समेकित बजट व्यवस्था के अनुश्रवण हेतु।

4- नोडल अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- ग्राम्य विकास अनुभाग-5

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।